Annexure-1

The written declaration as given hereunder will be included at the end of the application form for getting Unemployment Allowance:

I ---------- Son/ Daughter/ Wife of Shri ----------Age(date of birth)---------resident of ----------District----------Rajasthan, hereby declare that the informtion given above and in the enclosed documents is true to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therein. I am well aware of the fact that if the information given by me is proved false/not true, I will have to face the punishment as per the law. Also, all the benefits availed by me shall be summarily withdrawn.

Signature of applicant

Affix recent photograph of the applicant with signature

परिशिष्ठ – आई

आय का घोषणा पत्र

बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए

(बेरोजगार प्रार्थी द्वारा परिवार की आय की घोषणा स्वयं की जायेगी)

(आवेदक की नवीनतम फोटो निर्धारित स्थान पर चिपकाएं (स्टेपल नहीं करें) तथा उसे अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित Attested करावे)

नवीनतम फोटो

(उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित Attested करावे)

1 प्रार्थी का नाम .....

2 पिता का नाम श्री .....

3 निवास का पूर्ण पता .....

.....

4 गांव/शहर ..... तहसील ..... जिला .....

5 जन्म दिनांक ..... जन्म स्थान ..... उम्र .....

6 लिंग : पुरूष/महिला ..... वैवाहिक स्थिति : विवाहित/अविवाहित .....

7 धर्म (आवेदक) ..... जाति ..... उपजाति .....

8 क्या आप/आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी हैं ? हां/नहीं .....

9 क्या आप आयकर दाता हैं ? हां/नहीं .....

10 मोबाईल नम्बर .....

11 पेनकार्ड होने की दशा में पेनकार्ड नम्बर.....(आयकर विभाग की रिटर्न की अद्यतन प्रति संलग्न करें)

12 टिन नम्बर होने की दशा में टिन नम्बर .....(वाणिज्यिक कर विभाग की रिटर्न की अद्यतन प्रति संलग्न करें)

13 परिवार के सदस्यों व उनकी वार्षिक आय का विवरण **(परिवार के समस्त सदस्यों के नाम का उल्लेख करें)**

क्र.सं	सदस्य का नाम	उम्र	प्रार्थी से सम्बन्ध	व्यवसाय की प्रकृति	वार्षिक आय (रूपयों में
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7	अन्य स्त्रोत से आय (यथा मकान किराया, ब्याज, पेंशन, म्युचुअल फण्ड आदि)				
				परिवार की कुल वार्षिक आय	

14 उक्त तथ्यों के सत्यापन स्वरूप दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र संलग्न है।

मैं तस्दीक करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है ।

दिनांक.....

स्थान.....

प्रार्थी के हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण

(हस्ताक्षर मय मोहर नोटेरी पब्लिक/तहसीलदार)

परिशिष्ठ – के

उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र

(i) गवाह* :

मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री .....

निवासी .....

विभाग का नाम ..... पद .....

पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि

प्रार्थी/प्रार्थिया ..... पुत्र/पुत्री .....

निवासी .....

को भली प्रकार जानता/जानती हूँ। इनकी पारिवारिक वार्षिक आय.....रूपये है, इसके अलावा इनके पास आय का कोई अन्य स्त्रोत नहीं है।

(हस्ताक्षर/उत्तरदायी गवाह मय मुहर)

नाम ..... दिनांक ..... स्थान .....

(ii) गवाह* :

मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री .....

निवासी .....

विभाग का नाम ..... पद .....

पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि

प्रार्थी/प्रार्थिया ..... पुत्र/पुत्री .....

निवासी .....

को भली प्रकार जानता/जानती हूँ। इनकी पारिवारिक वार्षिक आय.....रूपये है, इसके अलावा इनके पास आय का कोई अन्य स्त्रोत नहीं है।

(हस्ताक्षर/उत्तरदायी गवाह मय मुहर)

नाम ..... दिनांक ..... स्थान .....

(उत्तरदायी व्यक्ति यथा – संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/राजपत्रित अधिकारी/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/ग्राम सेवक/पटवारी/महापौर/नगरनिगम सदस्य/नगरपालिका सदस्य/स्कूल के हेडमास्टर/संबंधित पीएचसी/सीएचसी के चिकित्सक/बीडीओ/सहायक अभियंता)

प्रार्थी द्वारा योजना की शर्तों को पूर्ण करने संबंधी स्व–घोषणा

मैं .....पुत्र श्री.....

घोषणा करता हूँ/करती हूँ :–

(i) वे बेरोजगार इन्जीनियर्स जो कि राज्य सरकार की बेरोजगार इन्जीनियर्स को बगैर निविदा आमंत्रित किये जाने की योजना के तहत पात्रता रखतें हैं तथा जिनके द्वारा इसका लाभ लिया जा रहा है।

(ii) इस प्रकार के बेरोजगार जो कि स्नातक उपाधि के पश्चात् भी अपनी शिक्षा निरन्तर रख रहें हैं।

(iii) इस प्रकार के बेरोजगार स्नातक जो कि किसी अन्य रोजगार योजना जैसे कि PMGSY & MNREGA के तहत लाभ प्राप्त कर रहें हैं। MNREGA में पंजीकृत बेरोजगार स्नातकों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

(iv) ऐसे बेरोजगार स्नातक जिसकी पारिवारिक वार्षिक आय दो लाख रूपये से अधिक हो।

(v) पूर्व में प्रचलित अक्षत योजना 2007 या अक्षत कौशल योजना 2009 या अक्षत योजना (राज्य बेरोजगारी भत्ता योजना 2012) में लाभ प्राप्त कर चुके आशार्थी।

(vi) जिनको किसी सरकारी विभाग या संस्था द्वारा पदच्युत कर दिया गया हो।

(vii) जिनके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज हो।

(viii) जो सरकारी/निजी क्षेत्र में सेवारत हो या जिनका स्वयं का रोजगार हो।

(ix) जो केन्द्र या राज्य सरकार की किसी भी अन्य योजना के अन्तर्गत छात्रवृति, सहायता या लाभ प्राप्त कर रहे हो।

(x) मेरे परिवार में मेरे सहित अधिकतम 2 पात्र व्यक्तियों ने आदिनांक तक अक्षत योजना 2007 या अक्षत कौशल योजना 2009 या अक्षत योजना (राज्य बेरोजगारी भत्ता योजना 2012) में भत्ता प्राप्त किया हो।

उपरोक्त स्व–घोषणा पत्र के बिन्दु संख्या (i) से (x) तक मुझ पर लागू नहीं होते तथा मैं योजनानुसार अपात्र नहीं हूँ। यदि उपरोक्त घोषणा पत्र बाद में झूठा साबित होने पर भारतीय दंड संहिता, अपराध दंड संहिता तथा अन्य विधि सम्मत कानून के तहत कार्यवाही हेतु मैं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं नाम